भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2479
दिनांक 13 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

कुपोषित बच्चे

2479. श्री सागर ईश्वर खंड्रे:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के बीदर जिले में वर्ष 2024-25 में 7,207 कुपोषित बच्चों की सूचना मिली है जिनमें गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) के 838 मामले और मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के 6,369 मामले शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भालकी, बसवकल्याण, औराद, हुमनाबाद और बीदर जैसे उच्च जोखिम वाले तालुकों में मातृ अल्पपोषण, समय से पहले जन्म, शिशु आहार की खराब पद्धतियों और असंगत आंगनवाड़ी निगरानी जैसे अंतर्निहित कारणों की पहचान करने के लिए कोई समीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने बीदर सहित पिछड़े जिलों में आईसीडीएस, पूरक पोषण कार्यक्रमों और पोषण अभियान पर हाल ही में किए गए बजटीय परिवर्तनों के प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) उक्त जिलों के सर्वाधिक प्रभावित तालुकों में एसएएम/एमएएम के बोझ को कम करने, आंगनवाड़ी की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने, मातृ पोषण को सुदृढ़ करने और लक्षित हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए उठाए जा रहे तात्कालिक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): पोषण ट्रैकर के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कर्नाटक के बीदर जिले में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) के 121 मामले और मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के 5,031 मामले (31 जनवरी 2026 तक) हैं। कुपोषण संकेतकों के संबंध में कर्नाटक के सभी जिलों सहित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार आंकड़े पोषण ट्रैकर के लिंक: https://www. poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ): कुपोषण एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है, जो मुख्य रूप से कई सामान्य कारकों से प्रभावित होता है, जिनमें अपर्याप्त भोजन सेवन, अनुचित मातृ नवजात शिशु और शिशु आहार तथा देखभाल पद्धतियां, असमानता एवं लैंगिक असंतुलन, खराब स्वच्छता एवं पर्यावरणीय स्थितियां; और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक देखभाल सेवाओं तक सीमित पहुंच शामिल हैं।

वर्ष 2021 में, विश्व बैंक ने 11 प्राथमिकता वाले राज्यों में पोषण अभियान पर एक सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवाओं की प्रदायगी का आकलन करना था कि क्या लाभार्थियों के पोषण संबंधी जानकारी में सुधार हुआ है और क्या उन्होंने अधिक उपयुक्त पोषण और आहार संबंधी पद्धतियों को अपनाया है। निष्कर्षों से पता चला कि पोषण अभियान के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएँ अर्थात- प्रासंगिक संदेशों की प्राप्ति, आँगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा घर-घर जाकर संपर्क करना और सामुदायिक कार्यक्रमों में उपस्थिति - बेहतर पोषण व्यवहार से जुड़ी थीं। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि कार्यक्रम के पोषण संदेश 80% से ज़्यादा महिलाओं तक पहुँचे और 81% महिलाओं ने पहले छह महीनों तक केवल स्तनपान कराया।

इसके अतिरिक्त, नीति आयोग द्वारा पोषण अभियान का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन और प्रभाव आकलन वर्ष 2020 और 2025 में किया गया था और इनमें देश में कुपोषण से निपटने के लिए इसकी प्रासंगिकता संतोषजनक पाई गई है। इसके अलावा, डीएमईओ, नीति आयोग (2025) द्वारा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का परिणाम-आधारित मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन के अनुसार, संस्थागत आकलन और घरेलू सर्वेक्षणों से प्राप्त साक्ष्य बताते हैं कि पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के माध्यम से डिजिटलीकरण का, पोषण निगरानी, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई), लाभार्थी प्रमाणीकरण और सेवा प्रदायगी कुशलता पर बहुआयामी प्रभाव पड़ा है। इस रिपोर्ट में पोषण ट्रैकर को पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के तहत मैनुअल, कागज-आधारित प्रणालियों से प्रौद्योगिकी-सक्षम संचालन ढांचे की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में भी रेखांकित किया गया है।

देश भर में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी सहित कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए समय-समय पर की गई विभिन्न पहलें इस प्रकार हैं:

- पोषण ट्रैकर नामक आईसीटी साधन को सभी आंगनवाड़ी केंद्रों (कर्नाटक राज्य के बीदर जिले सहित), आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और लाभार्थियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए कार्यान्वित किया गया है ताकि बच्चों में ठिगनापन, दुबलापन और अल्प वजन की व्याप्तता का परिभाषित संकेतकों का पता लगाया जा सके। इससे आंगनवाड़ी सेवाओं जैसे दैनिक उपस्थिति, ईसीसीई, पका हुआ गर्म भोजन (एचसीएम) और घर ले जाने वाले राशन की प्रदायगी, विकास मापन आदि के लिए लगभग तत्समय (रियल टाईम) आंकड़ों के संग्रह की सुविधा मिली है। यह ऐप जन्म की तैयारी, प्रसव, प्रसवोत्तर देखभाल, स्तनपान और पूरक आहार के बारे में संदेश प्रसारित करने में मदद करने वाले प्रमुख व्यवहारों और सेवाओं पर परामर्श वीडियो भी उपलब्ध कराता है। इस एप्लीकेशन के आंकड़ों से प्राप्त निष्कर्ष संबंधित नीतियों में मध्यावधि (मिड-कोर्स) सुधार के लिए अंर्न्तदृष्टि प्रदान करते हैं।

- कुपोषण की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए, खाद्य, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता और शिक्षा जैसे आयामों को शामिल करते हुए बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने हेतु 18 से अधिक मंत्रालयों/विभागों के बीच व्यापक समन्वय सुनिश्चित किया गया है।
- मिशन पोषण 2.0 के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष तक), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी 2023 में संशोधन किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, जबकि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं जिसमें गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व (कैल्शियम, जिंक, आयरन, आहारीय फोलेट, विटामिन ए, विटामिन बी6 और विटामिन बी12) प्रदान किए जाते है। गंभीर रूप से कुपोषित (एसएएम) बच्चों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अनुसार अतिरिक्त पूरक पोषण प्रदान किया जाता है।
- सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने तथा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पका हुआ गर्म भोजन तथा घर ले जाने वाला राशन तैयार करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सामुदायिक स्तर पर कुपोषित बच्चों के प्रबंधन और इससे संबंधित रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए बच्चों में कुपोषण प्रबंधन प्रोटोकॉल संयुक्त रूप से जारी किया है।
- फलों, सब्जियों, औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों तक आसान और किफायती पहुंच प्रदान करने के लिए देशभर में पोषण वाटिकाएं या पोषक उद्यान स्थापित किए गए हैं। आहार विविधता और पौष्टिक स्थानीय उत्पादों के सेवन को प्रोत्साहित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका तैयार की गई हैं।
- सामुदायिक जुटाव और जागरूकता अभियान, की गई प्रमुख गतिविधियों में से एक है, जिसका उद्देश्य लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना है, क्योंकि अच्छे पोषण की आदतें अपनाने के लिए व्यवहार में निरंतर परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, आंगनवाड़ी केंद्रों में आयोजित समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) स्वस्थ पोषण संबंधी पद्धतियों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति साबित हुए हैं।

****